

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

पाधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47] No. 47] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 6, 2018/माघ 17, 1939

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 6, 2018/MAGHA 17, 1939

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2018

स. भा.आ.प./34(41)/2017—मेड./172225.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, "स्नातक चिकित्सा शिक्षा पर विनियमावली, 1997" को पुनः संशोधित करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः—

- 1 (i) इन विनियमों को "स्नातक चिकित्सा शिक्षा पर विनियमावली (संशोधन), 2018" कहा जाएगा।
 - (ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. "रनातक चिकित्सा शिक्षा पर विनियमावली, 1997" के खंड 7(6) में उप—खंड 7(6कक) जो संशोधन अधिसूचना सं.भा.आ.प / 34(41) / 2017—मेड. / 122452, दिनांक 4 जुलाई, 2017 द्वारा जोड़ा गया था, को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

"7(6ककक)—विश्वविद्यालय और अन्य संबंधित प्राधिकरण परिशिष्ट 'च' में दर्शाई गई समय—सारणी के अनुसार दाखिला प्रक्रिया आयोजित करेंगे।"

3. "स्नातक चिकित्सा शिक्षा पर विनियमावली, 1997" में परिशिष्ट 'च' को निम्ननिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

प्रथम एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए दाखिला की प्रक्रिया की पूर्णता हेतु समय-सारणी

शैक्षिक वर्श 2018-19 और उसके आगे हेत् प्रवेश अनुसूची

क्रम सं.	दाखिले के लिए कार्यक्रम	केन्द्रीय काउंसिलिंग		राज्य काउंसिलिंग
		अखिल भारतीय कोटा	मानित +सीआई	
1.	परीक्षा आयोजित करना	10 मई तक		
2.	परिणाम की घोषणा	जून के प्रथम सप्ताह तक		
3.	काउंसलिंग का पहला चक्र	12 जून — 24 जून	12 जून — 24 जून	25 जून–5 जुलाई

712 GI/2018 (1)

— II	दाखिले के लिए कार्यक्रम	केन्द्रीय काउंसिलिंग		राज्य काउंसिलिंग
क्रम	दााखल के लिए कायक्रम	कन्द्राय काठासालग		राज्य काठासालग
₹.				
		अखिल भारतीय	मानित +सीआई	
		कोटा		
4.	कार्यारंभ करने की अंतिम तारीख	3 जुलाई	3 जुलाई	12 जुलाई
5.	काउंसलिंग का दूसरा चक्र	6 जुलाई–12 जुलाई	6 जुलाई—12 जुलाई	15 जुलाई–26 जुलाई
6.	कार्यारंभ करने की अंतिम तारीख	22 जुलाई	22 जुलाई	3 अगस्त
7.	मॉप–अप चक्र		12 अगस्त–22 अगस्त	४ अगस्त–८ अगस्त
8.	कार्यारंभ करने की अंतिम तारीख		26 अगस्त	12 अगस्त
9.	काउंसलिंग प्राधिकरण द्वारा चिकित्सा		27 अगस्त	13 अगस्त
	कॉलेजों में रिक्त सीटों की दस गुना के			
	बराबर मेरिट के अनुसार विद्यार्थियों की			
	सूची भेजना			
10.	कार्यारंभ करने की अंतिम तारीख		31 अगस्त	18 अगस्त

डॉ. रीना नय्यर, सचिव (प्रभारी)

[विज्ञापन III / 4 / असा. / 419 / 17]

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली, नामतः, "रनातक चिकित्सा शिक्षा पर विनियमावली, 1997" भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 04 मार्च, 1997 की अधिसूचना के अंतर्गत भारत के राजपत्र के भाग—III, खंड 4 में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की दिनांक 29 / 05 / 1999, 02 / 07 / 2002, 30 / 09 / 2003, 20/10/2008, 16/10/2003, 01/03/2004, 15/12/2008, 22/12/2008, 25 / 03 / 2009, 19/04/2010, 07/10/2010, 21/12/2010, 15/02/2012, 29/12/2015, 05/08/2016, 04 / 07 / 2017 और 23 / 01 / 2018 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत संशोधित 21/09/2016, 10/03/2017, किया गया था।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2018

No. MCI-34(41)/2017-Med./172225.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the "Regulations on Graduate Medical Education, 1997", namely:—

- 1. (i) These Regulations may be called the "Regulations on Graduate Medical Education (Amendment), 2018.
 - (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In Clause 7(6) of the "Regulations on Graduate Medical Education 1997", sub clause 7(6AAA), which was added vide Gazette Notification No. MCI-34(41)/2017-Med./122452, dated 04.07.2017 shall be substituted as under:-
 - "7(6AAA) –The Universities and other authorities concerned shall organize admission process in accordance with the Time Schedule indicated in Appendix 'F'."
- 3. In the "Regulations on Graduate Medical Education, 1997" Appendix 'F' shall be substituted, as under:—

[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 3

TIME SCHEDULE FOR COMPLETION OF THE ADMISSION PROCESS FOR FIRST MBBS COURSE FOR THE ACADEMIC YEAR 2018-19 AND ONWARDS -

Sl. No.	Schedule for Admission	Central Counseling		State Counseling
		All India Quota	Deemed + CI	
1.	Conduct of Exam	By 10 th May		
2.	Declaration of Result	By First Week of June		
3.	Ist round of Counseling	12 th June – 24 th June	12 th June – 24 th June	25 th June – 5 th July
4.	Last date of Joining	3 rd July	3 rd July	12 th July
5.	II round of Counseling	6 th July – 12 th July	6 th July – 12 th July	15 th July – 26 th July
6.	Last date of Joining	22 nd July	22 nd July	3 rd August
7.	Mop-up Round		12 th Aug. – 22 nd Aug.	4 th Aug. – 8 th Aug.
8.	Last date of Joining		26 th August	12 th August
9.	Forwarding the list of students in order of merit equaling to ten times the number of vacant seats to the Medical Colleges by the Counselling Authority		27 th August	13 th August
10.	Last date of Joining		31 st August	18 th August

Dr. REENA NAYYAR, Secy. (I/c)

[ADVT.-III/4/Exty./419/17]

Foot Note : The Principal Regulations namely, "Regulations on Graduate Medical Education, 1997" were published in Part–III, Section 4 of the Gazette of India *vide* Medical Council of India notification dated 4th March, 1997, and amended vide MCI notifications dated 29/05/1999, 02/07/2002, 30/09/2003, 16/10/2003, 01/03/2004, 20/10/2008, 15/12/2008, 22/12/2008, 25/03/2009, 19/04/2010, 07/10/2010, 21.12.2010, 15/02/2012, 29/12/2015, 05/08/2016, 21.09.2016, 10.03.2017, 04.07.2017 & 23.01.2018.